


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2013 में चयन होने पर निम्नांकित व्याख्याता (हिन्दी) एवं समकक्ष को उनके नाम के सम्मुख अंकित नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	नाम एवं वर्तमान पदस्थान स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	मगराज, एबीईईओ, पं.स. ओसियां, जोधपुर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आ.क्र.-एफ1() /स्था /सान्याअवि /2017 /83808 जयपुर दिनांक - 16.08.17
2	हरसहाय मीना, राउमावि मोहचाकापुरा, स. माधोपुर	कार्मिक विभाग के आदेश क्र. प.9(190)कार्मिक/क-4/2/2017 दिनांक 03.08.17
3	डॉ. योगेश नरेनिया, रा सिन्धी उमावि, खारीकुई, अजमेर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आ.क्र.-एफ1() /स्था /सान्याअवि /2017 /83808 जयपुर दिनांक - 16.08.17

विभाग छोड़ने के बाद इनका वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा । संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें ।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 03-8-2017

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/अनुज्ञा/2015-16
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित कार्यालय
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/एसीआर/सी-ओएसी अनुभाग
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर